रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1978/भाद्र 4, 1900
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1978/BHADRA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1978

सा०का०नि० 1045.—12 अगस्त, 1978 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1978

मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता हूं, अर्थात्:—

1 (1) इस आदेश का नाम गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1978 है।

(2) यह 14 अगस्त, 1978 को प्रवृत्त होगा।

2. गुजरात का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1960 में, प्रथम अनुसूची में, स्तम्भ (1) में "राजभवन, अहमदाबाद" शब्दों के स्थान पर "राजभवन, गांधीनगर" शब्द रखे जाएंगे।

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति,
[सं० 2/46/78-स्टेट्स]
पी० पी० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th August, 1978

G.S.R. 1045.—The following Order made by the President on 12th August, 1978, is published for general information:—

"THE GOVERNOR OF GUJARAT (ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT ORDER, 1978

In exercise of the powers conferred by section 44 of the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, hereby make the following

2. In rule 1 of the Mormugao Harbour Craft Rules, 1976—

(1) in the marginal heading, the word "application" shall be omitted;

(2) sub-rule (2) shall be omitted;

(3) sub-rule (3) shall be renumbered as sub-rule (2) thereof.

[No. PG L-34/78]
S. VASUDEV, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1978

सा०का०नि० 1061.—नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस उपधारा के प्रयोजन के लिए हाउसिंग डेवेलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन, बम्बई को वित्तीय संस्थान के रूप से विनिर्दिष्ट करती है।

[फा० सं० 1/3/78-यू०सी०यू०]
एस० महादेव अय्यर, उप-सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 10th August, 1978

G.S.R. 1061.—In exercise of the powers conferred by caluse (e) of the Explanation of clause (iii) of sub-section (1) of section 19 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), the Central Government hereby specifies the Housing Development Finance Corporation, Bombay as a financial institution for the purpose of that sub-section.

[F. No. 1/3/78-UCU]
S. MAHADEVA AYYAR, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1978

सा०का०नि० 1062.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1964 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (समूह 'घ' पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, स्वीपर के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 9 के सम्मुख कालम 2 और 4 में, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) कालम (2) के अन्तर्गत, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "सफाई-वाला" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ख) कालम (4) के अन्तर्गत, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "196-3-220-द०रो०-3-232 रुपए" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 12019/4/78-बी(ए)]
एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROACASTING

New Delhi, the 5th August, 1978

G.S.R. 1062.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group D posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group D posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Schedule to All India Radio (Group D posts) Recruitment Rules, 1964, against Serial Number 9, relating to the post of 'Sweeper', in columns 2 and 4, for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

(a) under column (2) for the existing entry, the entry "Safaiwala" shall be substituted.

(b) under column (4) for the existing entry, the entry Rs. "196-3-220-EB-3-232" shall be substituted.

[No. 12019/4/78-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1978

सा०का०नि० 1063 :—चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973 में संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1278 तारीख 8 सितम्बर, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 24 सितम्बर, के पृष्ठ 2814 से 2817 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है;

और उक्त राजपत्र 24 सितम्बर, 1977 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।